भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *314

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों का अनुपालन

***314. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः**

श्री सौमित्र खानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कौन से विशिष्ट दिशानिर्देश हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करे;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 'आयुष्मान भव' और 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रमों में भाग लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की अवधि हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के **खंड 10.3** में विनिर्दिष्ट किया गया है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन के तहत परिकल्पित कार्यक्रम/कार्यकलापों का कार्यान्वयन एनएचएम की कार्यान्वयन की रूपरेखा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार हो।"

समझौता ज्ञापन के **खंड 10.10** में विनिर्दिष्ट किया गया है कि "राज्य सरकार एनएचएम के कार्यान्वयन के संबंध में जारी उन सभी मौजूदा मैनुअलों, दिशानिर्देशों, निर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करेगी, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।"

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) (जिसे वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कहा जाता है) की ब्रांडिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30 मई, 2018 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25 नवंबर, 2023 के पत्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (एएएम) करने का निर्देश दिया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खंड 10.3 और 10.10 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से कई बार पत्राचार किया गया था। दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण राज्य को निधियां भी जारी नहीं की गई है।

दिनांक 18.01.2025 के पत्र के माध्यम से, पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में "स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र" का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य केंद्र किए जाने के निर्णय की सूचना दी है। इस पर सहमति दी गई है।

एनएचएम के तहत, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें समीक्षा बैठकें, प्रमुख वितरणों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों का क्षेत्र दौरा, सेवा वितरण के लिए मानक स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा देना और उपलब्धियों को पुरस्कृत करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, योजना के तहत प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए प्रति वर्ष सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2024 में 16वें सीआरएम ने पश्चिम

बंगाल के मालदा और 24 उत्तरी परगना जिलों का दौरा किया, जिसमें सुविधा केंद्रों का दौरा, लाभार्थियों से बातचीत, स्वास्थ्य परिचर्या टीम के साथ चर्चा सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की विस्तृत समीक्षा की गई। 16वें सीआरएम की रिपोर्ट का विवरण यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नवत उपलब्ध है:

https://nhsrcindia.org/16th-crm-report-2024

यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान, सामूहिक औषधि प्रशासन (एमडीए) अभियान और विभिन्न अन्य परामर्श, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया है। तथापि, यह विकसित भारत संकल्प यात्रा और आयुष्मान भव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है।

***